## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1990-I/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-08-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 596/2001-02/अपील

नाथुलाल आत्मज कारूलाल नाई
निवासी ग्राम अफजलपुर तहसील व
जिला-मंदसौर (म.प्र.)

.......... आवेदक

विरूद्ध

1-रामलाल आत्मज चतरभुज जाति डाँगी मृत उत्तराधिकारी
अ-भुलीबाई बेवा रामलाल
ब-संजय पिता रामलाल
दोनो निवासी ग्राम अफजलपुर तहसील व
जिला-मंदसौर (म.प्र.)
2-रामचन्द्र आत्मज कारूलाल नाई
निवासी अफजलपुर तहसील व जिला मंदसौर

.............. अनावेदकगण

..................

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0गोयल, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
शेष अनावेदक एकपक्षीय

............

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 2/ / को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 596/2001-02/अपील में पारित आदेश दिनांक 25-08-2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2-- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 रामलाल ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल कमांक 1 मंदसौर द्वारा पंजी कमांक 53 दिनांक 6--6--2000 को पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर जिला मंदसौर के न्यायालय में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि ग्राम अफजलपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 786 रकबा 1.097 अनावेदक कमांक 1 के एकाकी भूमि स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसका वह उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है किन्तु पटवारी ग्राम अफजलपुर द्वारा अनावेदक कमांक 1 की अज्ञानता का लाभ उठाकर नई भू--अधिकार एवं ऋण पुस्तिका तैयार करने के नाम पर नामान्तरण पंजी पर हस्ताक्षर कराके उक्त भूमि का विभाजन पटवारी के जाति भाई होने के नाते आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 तथा अनावेदक कमांक 1 के मध्य कराके पृथक--पृथक भू--अधिकार एवं ऋण पुस्तिका दे दी जबकि आवेदक का कोई स्वत्व हित आधिपत्य नहीं था ऐसी स्थिति में बंटवारा कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अतः सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर ग्राम पंचायत अफजलपुर स्थित भूमि नम्बर 786 रकबा 1.097 पर पूर्ववत् अनावेदक कमांक 1 का एकांकी स्वामित्व दर्ज किया जावे । अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपील मेमो के संलग्न अवधि विधान धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया । अतिरिक्त कलेक्टर मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 54/2000--2001 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 4--7--2002 द्वारा अपील इस आधार पर अमान्य की दी कि न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 4--6--2000 को आपसी बंटवारा करने के आवेदन पर रामलाल के हस्ताक्षर हैं । अतिरिक्त कलेक्टर के इसी आदेश पर दिनांक 4--7--2002 के विरूद्ध द्वितीय अपील संहिता की धारा 44(2) के तहत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25--08--2006 से अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25--8--06 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह बताया कि अनावेदक कमांक 1 रामलाल का स्वर्गवास न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन मे अपील लंबित रहते दिनांक 25–3–04 को हो गया था यह स्वीकृत तथ्य है । अनावेदक कमांक 1 के उत्तराधिकारीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सीपीसी के तहत ऊपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन में दिनांक 13–5–2005 को प्रस्तुत किया । अनावेदक कमांक 1 के उत्तराधिकारी संजय ने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का आवेदन शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जो दिनांक 24–12–2004 का है । इस प्रकार अनावेदक रामलाल की मृत्यु का ज्ञान दिनांक 24–12–04 को भी माना जावे व अनावेदक कमांक 1 के उत्तराधिकारी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत दिनांक 13–5–05 को प्रस्तुत किया यानि मृत्यु होने के एक वर्ष 2 माह पश्चात् प्रस्तुत किया जो कि अवधि बाह्य आवेदन था परन्तु इस आपत्ति पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन ने कोई विचार न कर अवधिबाह्य आवेदन को स्वीकार किया व उनको रिकार्ड पर लिया जबकि अपील अबेट हो चुकी थी । उक्त अपील अपर आयुक्त द्वारा स्वीकार की जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में विधिक भूल की जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक कमांक 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया कि दिनांक 4–4–1969 को पारित बंटवारे के आदेश को प्रथम अपील प्रकरण कमांक 64 / 68–69 में पारित आदेश दिनांक 23–5–1973 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया और इसी आदेश को दिनांक 28–5–1975 को द्वितीय अपील में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा भी रिमाण्ड कर दिया गया । इस रिमाण्ड आदेश के बाद एस0डी0ओ0 ने रिमाण्ड आदेश के पालन में दिनांक 18–11–1983 को नायब तहसीलदार टप्पा धुंधड़का ने रिमाण्ड आदेश का पालन न करते हुये प्रकरण को स्टे कर दिया । नायब तहसीलदार धुंधड़का द्वारा बंटवारे के प्रकरण का स्थगित करने के बाद आज दिनांक तक नायब तहसीलदार धुंधड़का ने बंटवारे के प्रकरण में कोई अग्रिम

कार्यवाही नहीं की जबकि नायब तहसीलदार धुंधड़का को ग्राम अफजलपुर स्थित कृषि भूमियों का सम्पूर्ण रकबा 15 बीघा 5 विस्वा सभी सह खातेदारों के नाम से करना थ । इस रकबे में आवेदक एवं उसके भाई विपक्षी कमांक 2 रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा है और 1/2 हिस्सा मन्नालाल के मृत होने के बाद उसका एकमात्र पुत्र मुकंद का 1/2 हिस्सा है । मुकंद ने 1/2 हिस्से में से जो कि 7 बीघा 13 विस्वा होता है में से अपने लड़के तुलसीराम को जो कि पटवारी था, विक्रय कर दिया और 1/2 हिस्सा रामलाल को विक्रय कर दिया । इस प्रकार रिमाण्ड आदेश होने के बाद नायब तहसीलदार टप्पा धुंधड़का ने इन सभी व्यक्तियों का कृषि भूमि में सामलाती नाम दर्ज कर बाद में कृषि भूमियों का किस्त के अनुसार व गुण के अनुसार बटवारा करना चाहिये था जैसा कि धारा 178 में बंटवारे के नियम दर्शाये गये हैं लेकिन नायब तहसीलदार धुंधड़का द्वारा आज दिन तक ऐसा नहीं किया गया है । सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 56 दिनांक 6—6—2000 से बंटवारा किया जो अवैध व कानून के विपरीत है क्योंकि नामान्तरण पंजी में बटवारा नहीं हो सकता है । आवेदक नाथूलाल ने अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—8—06 को छिपाते हुये जिसमें रामलाल के नाम कृषि खाते नम्बर 786 रकबा 1.097 हेक्टर को कायम रखा और प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया । इस रिमाण्ड आदेश के पालन में सम्पूर्ण रकबा 15 बीघा 5 विस्वा को सभी सह हिस्सेदारों के नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित करके बाद में बटवारे की कार्यवाही होना था है । इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जावे और प्रकरण को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि ग्राम अफजलपुर तहसील मंदसौर स्थित कृषि खाते के सम्पूर्ण रकबा को राजस्व अभिलेखों में सह हिस्सेदार नाथूलाल व रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा रामलाल के स्थान पर उसके वारिसों का 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा व तुलसीराम ने रकबा बेच दिया उस खरीददार का भी 1/2 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे । अंत में अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक ने अपने निगरानी मेमों में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उभयपक्ष के मध्य वर्ष 1969 के ही विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चल रहे है । स्पष्ट है कि भूमि के सम्बध में उभयपक्ष में विवाद की स्थिति रही है ऐसी स्थिति में अविवादित बंटवारा मानकर नामांतरण पंजी पर की गई कार्यवाही उचित नहीं मानी जा सकती है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए रिमांड करने में कोई त्रुटि नहीं की है । जहॉ दोनों पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । जहॉ तक आवेदक की इस आपत्ति का प्रश्न है कि अनावेदक के वारिसान अपर आयुक्त ने अवधि बाह्य रिकार्ड पर लेकर त्रुटि की है, के सम्बन्ध में अपर आयुक्त ने, रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 10–03–06 द्वारा वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया । उस स्टेज पर आवेदक की ओर से न तो कोई आपत्ति ली गई और न ही इस आदेश को निगरानी में चुनौती दी गई । अतः अब इस स्टेज पर इस आपत्ति को उठाया जाना औचित्यहीन है ।

6– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है।

( मनोज गोयल )
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.